


12/09/25

पत्रावली (पत्र) द्वारा। अधिवक्ता  
उत्पन्न है। पत्रावली  
अधिकार (पत्र) द्वारा। उत्पन्न  
अधिकारों की जांच पत्र द्वारा  
द्वारा 151 विविध क्रिया संदिता  
एक बार पत्र पर अधिवक्ता  
द्वारा।

प्राप्त अधिवक्ता द्वारा 151 क्रि  
एक बार (पत्र) द्वारा। अधिवक्ता  
विशेष क्रिया है कि अधिवक्ता  
अधिकारों के अधिनियमों में अधिवक्ता  
नहीं है, अधिवक्ता अधिनियमों में अधिवक्ता  
अधिकारों के अधिनियमों में अधिवक्ता



फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर  
नाम न्यायालय प्रथम  
शहर प्रथम

भगवान नाम शब्द

केस संख्या

400 - 491/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/09/25	<p>इसलिए उम्हारा से विभाजन का अनुलोप दया जाकर वंछ जाकर घोषणा, इन्हाज, दुस्ती लक ही बदा जाने का अनुलोप प्रदान किया जावे प्रतिवादी सन्ध 01/10/05 में उपस्थित होकर कोई आपत्ती पेश नही की।</p> <p>युक्ति प्रथम विभाजन का अनुलोप नही पाएगाई किंतु प्रथम का प्रथम पत्र इनकी धारा 151 किं प्रथम इस दंड लक लीकार किया जाकर अन्य अनुलोप के दंड लक दले का पदा जावेगा वही विभाजन के अनुलोप के लिए प्रथम से दया पेश करने की अनुमति देगी।</p> <p>काउ पत्र जाकर घोषणा, इन्हाज, दुस्ती पर उभयपक्षकामान की बहस पर भजन करने एवं तनकीवार विवेचन के आधार पर वही विभाजन का पदा डिक्ली किया जाकर विस्तृत निर्णय प्रथम लेखिलवाया जाकर शपथित किया गया। फतावली के लिए शुभार होकर दर्ज नकर से काउ ही निम्नलिखित दिनांक 12/09/2025 को हुके न्यायालय के मुजापरा गया।</p>

सहायक कलक्टर  
प्रथम शहर प्रथम

पी  
वा

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर व इजलास श्रीमती  
सरिता शर्मा (आर.ए.एस.)

1. मंगला पुत्र सुक्खा (मृतक दौराने)
  - 1/1 कैंसर देवी पत्नी मंगला निवासी ग्राम घेघा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
  - 1/2 बाबूडी पुत्री मंगला पत्नी गोपाल जाति जाट ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
  - 1/3 रामेश्वरी पुत्री मंगला पत्नी हरकरण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील रुपनगढ जिला अजमेर।
  - 1/4 पांची पुत्री मंगला पत्नी ब्रदी जाति जाट ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
  - 1/5 ग्यारसी देवी पुत्री मंगला पत्नी भगवान जाति जाट निवासी कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
  - 1/6 सीता पुत्री मंगला पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मु. धापा बेवा सुक्खा जाति जाट ग्राम गेंगा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक दौराने वाद नाम हजफ)

1. श्रवण
2. हनुमान
3. रामदेव
4. गोपाल
5. जगदीश
6. कजोड
7. कान्हा
8. कुम्भा
9. मुन्ना

समस्त पुत्रान रुघा जाति जाट ग्राम घेंगा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

समस्त पुत्रान धन्ना जाति जाट ग्राम घेंगा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10. घासी

11. सुरजमल

समस्त पुत्रान लादू जाति जाट ग्राम घेंगा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12. दशरथ सिंह पुत्र आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी बगरुकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जूरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

दस्तावेज  
दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर - दावा 49/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु श्रीमती सरिता शर्मा व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रुबरु प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगणों को ग्राम गूमि ग्राम घेघा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 282, 283, 285 286, 293, 294, 295, 296, 299 300, 305, 306, 312, 313, 358, 412, 423, 424, 425, 434, 436, 437, 438, 603, 604, 606, 607, 636, 357/754, 435/755, 413/756, 413/757, 355/758 में हिस्सा 1/3 का सहखातेदार एवं खाता संख्या 42 के वर्तमान खसरा नम्बर 262, 263, 264, 265, 646, 649 में 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/10/2025 को जारी की गई।



मुहर  
 दस्त   
 सहायक कलक्टर  
 ओह जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00		मीजान	00

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो।

सहायक कलक्टर  
 जयपुर शहर प्रथम